राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–III/964 जयपुर दिनांक : 20/09/2021

परिपत्र

निदेशालय द्वारा भिन्न–भिन्न आदेशों द्वारा अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मियों के किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह जानकारी में आया हैं कि अनेक स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात् भी आदिनांक तक अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिकों द्वारा अब तक भी नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया जाना अत्यन्त गंभीर विषय हैं।

समस्त स्थानान्तरणाधीन अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता हैं कि इस परिपत्र की पालना में अविलम्ब अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करे तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यग्रहण की सूचना ईमेल/डाक/दस्ती इस निदेशालय को दिनांक 22.09.2021 तक प्राप्त हो जाये। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासानात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

यदि किसी कार्मिक को संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता हैं तो संबंधित विभाग/कार्यालय पूर्ण कारण अंकित करते हुए इस निदेशालय की लिखित अनुमति प्राप्त करने की तुरन्त व्यवस्था करावें और यदि इस विभाग से 21.09.2021 तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं होते है तो संबंधित कार्मिक वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्ति का इन्तजार किये बिना अपने वर्तमान पद से कार्यभार परित्याग (Relinquish) कर अपने वर्तमान पदस्थापन विभाग को सूचित करते हुए नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना न करने की स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी तथा इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक 20.9.21

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–III/964 जयपुर दिनांक : 20/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी .....।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन हैं कि स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को अविलम्ब उनके नवपदस्थापन कार्यालय/विभाग में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कराने का श्रम करें साथ ही निर्देशानुसार यह भी लेख हैं कि यदि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से संबंधित कार्मिक उक्तानुसार निर्देशों की पालना में स्वतः ही कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करता हैं तो यह उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही का आधार नहीं होगा और नियोक्ता प्राधिकारी ऐसे मामलों में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध किसी कार्यवाही का समर्थन नहीं करेगा।
4. संबंधित कार्मिक.....
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/कार्मिक–II) कार्यालय हाजा।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)